राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :–151/2025

अनिल कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त(प्रशासन) परिवहन एवं रोड़ सुरक्षा विभाग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक, डी.टी.ओ परिवहन कार्यालय, जिला फलोदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कनिष्ठ सहायक, डी.टी.ओ परिवहन कार्यालय, जिला सादुलशहर जिला चुरू में किया गया है। यह आदेश बिना मस्तिष्क का उपयोग किये बिना मनमाने ढ़ग से प्रसारित किया गया है। कनिष्ठ सहायक के फलौदी में 3 पद स्वीकृत है तथा एकमात्र अपीलार्थी कार्यरत है। अपीलार्थी के नवीन पदस्थापन से फलौदी में इस कार्य के सम्पादन हेतु कोई समक्ष व्यक्ति कार्यरत नहीं रहता, जबकि जहां पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। वहां पूर्व से ही इस पद पर व्यक्ति कार्यरत है, जो कि कार्य की दृष्टि से आधिक्य व्यक्ति कार्यरत होगें। अपीलार्थी को 600 कि. मी. दूर पदस्थापित किया गया है, जबकि जोधपुर जैसे पडौस के जिलों के इस विभाग के कार्यालय में यही पद रिक्त भी है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए अपीलार्थी को बार–बार फलोदी जाना पड़ता है तथा उसकी 6 माह की पुत्री है। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूर्णतया असक्षम प्रतीत होता है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त

किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कनिष्ठ सहायक, डी.टी.ओ परिवहन कार्यालय, जिला सादुलशहर जिला चुरू में किया गया है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं उनके इलाज के लिए अपीलार्थी को बार–बार फलोदी जाना पड़ता है तथा उसकी 6 माह की पुत्री है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूर्णतया असक्षम प्रतीत होता है। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी 02 सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में 04 सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य